प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S6400105856603032019

अनुमोदन दिनांक : 30 Mar 2019

1.	**सोसायटी का नाम** AGRANI SKILL DEVELOPMENT SOCIETY SEONI **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** 561, सी वी रमन वार्ड 124,एस.पी. बंगले के पीछे, बारापत्थर, सिवनी 480661 **तहसील** Seoni **जिला** Seoni **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 8223995333 **ईमेल आईडी** saxenaanujkumar79@gmail.com
3.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**
1	संस्था द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर माध्यमिक तथा सीबीएससी जैसी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करना।
2	संस्था द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा कालेज, हौम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तकनीकी इंजीनियरिंग कालेज, मैन्जमेन्ट कालेज, आई.टी.आई., वी.टी.पी. एजुकेशनल, कौशल विकास कार्यक्रम, एमबीए, एमसीए, उच्च शिक्षा, एम. एड., बी. एड., डी. एड. का संचालन करना।
3	संस्था द्वारा सभी वर्ग हेतु विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं जिसमें फुटबाल, किक्रेट, बैडमिंटन, कुश्ती, खो-खो, लम्बी कूद, दौड़, निशाना, भाला फेंक, जिम्नास्टिक तथा तैराकी आदि का आयोजन करना तथा इन खेलों को बढ़ावा देना।
4	संस्था द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने हेतु युवक, युवतियो को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट साक्षरता तथा सूचना तकनीकी, डीजिटल इंडिया आदि के अपार सामर्थ के श्रेष्ठतम उपायों का शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना।
5	युवक तथा युवतियो को कम्प्यूटर आफसेट, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टाइपिंग, डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, जरी, जरदौजी, बनावटी आभूषण, बुनाई, कुकिंग, बेकरी, जूट शिल्प, हेल्थ केयर, फैशन टेक्सटाइल, ड्रेस डिजाईनिंग, काष्ठ शिल्प, पेपर मैशी, पेपर बैग, काश्तकारी, बम्बू प्रशिक्षण, मोटर ड्रायविंग, मोटर मैकेनिक, आटो पार्टस रिपेयिरंग आदि विभिन्न व्यवसायिक विषय पर शिक्षण प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रशिक्षण, सिक्यूरिटी प्रशिक्षण, कॉल सेंटर(बीपीओ) इत्यादि का प्रशिक्षण देना।
6	संस्था द्वारा निःशक्तजन, असहाय, वृद्धो, महिलाओं, बच्चों, विकलांगो, जरूरतमंदो तथा साधन हीन व्यक्तियों या परिवारों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करना तथा छात्रावास, वृद्धाश्रम, धर्मशाला, विधवा आश्रम, बाल आश्रम, महिला डे केयर आदि का संचालन करना।
7	व्यसन मुक्त और स्वावलम्बी समाज का निर्माण करना तथा शराब, धूम्रपान एवं अन्य मादक विभिन्न नशीली वस्तुओं, पदार्थो से होने वाली बीमारियों के प्रति पोस्टर, प्रदर्शनी, पम्पलेट, स्लोगन, प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना एवं उनकी रोकथाम के उपाय करना।
8	भारतीय संस्कृति से परिचय कराने हेतु लोक कला, कवि सम्मेलन, साहित्यक, संगीत, गीत गायन, नृत्य, भजन, लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, बोली, भाषा तथा बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम करना।
9	समय-समय पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, रचनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित विद्वान विशेषज्ञों के शिक्षाप्रद व्याख्याल आयोजित करना और शिक्षण प्रशिक्षण शिविर व कार्यशालाएँ आयोजित करना।
10	विभिन्न अवसरों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, परिवार नियोजन, नाक, कान तथा गला रोग निदान शिविरों का आयोजन करना तथा एड्स, कैंसर, मधुमेह, प्लेग आदि लाइलाज बीमारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा संक्रमित बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
11	पर्यावरण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं जनचेतना का विकास करना तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम करना तथा विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का प्रचार-प्रसार करना, अनुसंधान कार्य करना, विज्ञान के क्षेत्र में सेमीनार, शिक्षण प्रशिक्षण देना।
12	किसी देवीय विपत्ति, अनावृष्टि, बाढ़, भूकम्प, अकाल, सूखा, अग्निकाण्ड, महामारी आदि से पीड़ित बन्धुओं को विभिन्न कार्यक्रमों एवं विकल्पों द्वारा उनकी आवश्यक सहायता करना।
13	महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित विविध गतिविधियों का संचालन एवं व्यवस्था तथा कामकाजी महिलाओं हेतु हास्टल, बोर्डिंग स्कूल आदि का संचालन करना।
14	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, साफ सफाई एवं शौचालयों आदि की जानकारियाँ प्रदान करना। प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं हर्बल औषधियों का प्रचार-प्रसार करना तथा समय-समय पर व्यायाम, योग, ध्यान, सूर्य नमस्कार कार्यक्रमों का आयोजन करना।
15	समस्त शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन के सहयोग से उनका क्रियान्वयन करना तथा समाज सेवा के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों रक्तसदान शिविर, स्वास्य्ाई जागरूकता कार्यक्रम, नशा मुक्ति कार्यक्रम, पानी बचाओ, नदी, नालों तथा तालाबो की साफ सफाई, सुलभ शौचालयों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं, कुपोषण मिटाओं, सर्वशिक्षा कार्यक्रम, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा तथा नसबंदी में सहयोग प्रदान करना।

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S640010585660303 2019

अनुमोदन दिनांक : 30 Mar 2019

1.	**सोसायटी का नाम** AGRANI SKILL DEVELOPMENT SOCIETY SEONI **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** 561, सी वी रमन वार्ड 124,एस.पी. बंगले के पीछे, बारापत्थर, सिवनी 480661 **तहसील** Seoni **जिला** Seoni **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 8223995333 **ईमेल आईडी** saxenaanujkumar79@gmail.com
3.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**
1	संस्था द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर माध्यमिक तथा सीबीएससी जैसी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करना।
2	संस्था द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा कालेज, हौम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तकनीकी इंजीनियरिंग कालेज, मैन्जमेन्ट कालेज, आई.टी.आई., वी.टी.पी. एजुकेशनल, कौशल विकास कार्यक्रम, एमबीए, एमसीए, उच्च शिक्षा, एम. एड., बी. एड., डी. एड. का संचालन करना।
3	संस्था द्वारा सभी वर्ग हेतु विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं जिसमें फुटबाल, किक्रेट, बैडमिंटन, कुश्ती, खो-खो, लम्बी कूद, दौड़, निशाना, भाला फेंक, जिम्नास्टिक तथा तैराकी आदि का आयोजन करना तथा इन खेलों को बढ़ावा देना।
4	संस्था द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने हेतु युवक, युवतियो को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट साक्षरता तथा सूचना तकनीकी, डीजिटल इंडिया आदि के अपार सामर्थ के श्रेष्ठतम उपायों का शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना।
5	युवक तथा युवतियो को कम्प्यूटर आफसेट, प्रिटिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, टाइपिंग, डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, जरी, जरदौजी, बनावटी आभूषण, बुनाई, कुकिंग, बेकरी, जूट शिल्प, हेल्थ केयर, फैशन टेक्सटाइल, ड्रेस डिजाईनिंग, काष्ठ शिल्प, पेपर मैशी, पेपर बैग, काश्तकारी, बम्बू प्रशिक्षण, मोटर ड्रायविंग, मोटर मैकेनिक, आटो पार्टस रिपेयिरंग आदि विभिन्न व्यवसायिक विषय पर शिक्षण प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रशिक्षण, सिक्यूरिटी प्रशिक्षण, कॉल सेंटर(बीपीओ) इत्यादि का प्रशिक्षण देना।
6	संस्था द्वारा निःशक्तजन, असहाय, वृद्धो, महिलाओं, बच्चों, विकलांगो, जरूरतमंदो तथा साधन हीन व्यक्तियों या परिवारों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करना तथा छात्रावास, वृद्धाश्रम, धर्मशाला, विधवा आश्रम, बाल आश्रम, महिला डे केयर आदि का संचालन करना।
7	व्यसन मुक्त और स्वावलम्बी समाज का निर्माण करना तथा शराब, धूम्रपान एवं अन्य मादक विभिन्न नशीली वस्तुओं, पदार्थो से होने वाली बीमारियों के प्रति पोस्टर, प्रदर्शनी, पम्पलेट, स्लोगन, प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना एवं उनकी रोकथाम के उपाय करना।
8	भारतीय संस्कृति से परिचय कराने हेतु लोक कला, कवि सम्मेलन, साहित्यक, संगीत, गीत गायन, नृत्य, भजन, लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, बोली, भाषा तथा बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम करना।
9	समय-समय पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, रचनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित विद्वान विशेषज्ञों के शिक्षाप्रद व्याख्याल आयोजित करना और शिक्षण प्रशिक्षण शिविर व कार्यशालाएँ आयोजित करना।
10	विभिन्न अवसरों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदाल शिविर, परिवार नियोजन, नाक, कान तथा गला रोग निदान शिविरों का आयोजन करना तथा एड्स, कैंसर, मधुमेह, प्लेग आदि लाइलाज बीमारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा संक्रमित बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
11	पर्यावरण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं जनचेतना का विकास करना तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम करना तथा विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का प्रचार-प्रसार करना, अनुसंधान कार्य करना, विज्ञान के क्षेत्र में सेमीनार, शिक्षण प्रशिक्षण देना।
12	किसी देवीय विपत्ति, अनावृष्टि, बाढ़, भूकम्प, अकाल, सूखा, अग्निकाण्ड, महामारी आदि से पीड़ित बन्धुओं को विभिन्न कार्यक्रमों एवं विकल्पों द्वारा उनकी आवश्यक सहायता करना।
13	महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित विविध गतिविधियों का संचालन एवं व्यवस्था तथा कामकाजी महिलाओं हेतु हास्टल, बोर्डिंग स्कूल आदि का संचालन करना।
14	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, साफ सफाई एवं शौचालयों आदि की जानकारियाँ प्रदान करना। प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं हर्बल औषधियों का प्रचार-प्रसार करना तथा समय-समय पर व्यायाम, योग, ध्यान, सूर्य नमस्कार कार्यक्रमों का आयोजन करना।
15	समस्त शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन के सहयोग से उनका क्रियान्वयन करना तथा समाज सेवा के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों रक्तसदान शिविर, स्वास्य्ाई जागरूकता कार्यक्रम, नशा मुक्ति कार्यक्रम, पानी बचाओ, नदी, नालों तथा तालाबो की साफ सफाई, सुलभ शौचालयों, बेटी बचाओ, बेटी पढाओं, कुपोषण मिटाओं, सर्वशिक्षा कार्यक्रम, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा तथा नसबंदी में सहयोग प्रदान करना।

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S6400105856603032019 | **अनुमोदन दिनाँक : 30 Mar 2019**

1.	**सोसायटी का नाम** AGRANI SKILL DEVELOPMENT SOCIETY SEONI **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** 561, सी वी रमन वार्ड 124,एस.पी. बंगले के पीछे, बारापत्थर, सिवनी 480661 **तहसील** Seoni **जिला** Seoni **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 8223995333 **ईमेल आईडी** saxenaanujkumar79@gmail.com
3.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**
1	संस्था द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर माध्यमिक तथा सीबीएससी जैसी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करना।
2	संस्था द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा कालेज, हौम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तकनीकी इंजीनियरिंग कालेज, मैन्जमेन्ट कालेज, आई.टी.आई., वी.टी.पी. एजुकेशनल, कौशल विकास कार्यक्रम, एमबीए, एमसीए, उच्च शिक्षा, एम. एड., बी. एड., डी. एड. का संचालन करना।
3	संस्था द्वारा सभी वर्ग हेतु विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं जिसमें फुटबाल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, खो-खो, लम्बी कूद, दौड़, निशाना, भाला फेंक, जिम्नास्टिक तथा तैराकी आदि का आयोजन करना तथा इन खेलों को बढ़ावा देना।
4	संस्था द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने हेतु युवक, युवतियो को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट साक्षरता तथा सूचना तकनीकी, डीजिटल इंडिया आदि के अपार सामर्थ के श्रेष्ठतम उपायों का शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना।
5	युवक तथा युवतियो को कम्प्यूटर आफसेट, प्रिटिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, टाइपिंग, डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, जरी, जरदौजी, बनावटी आभूषण, बुनाई, कुकिंग, बैकरी, जूट शिल्प, हेल्थ केयर, फैशल टेक्सटाइल, ड्रेस डिजाईनिंग, काष्ठ शिल्प, पेपर मैशी, पेपर बैग, काश्तकारी, बम्बू प्रशिक्षण, मोटर ड्रायविंग, मोटर मैकेनिक, आटो पार्टस रिपेयिरंग आदि विभिन्न व्यवसायिक विषय पर शिक्षण प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रशिक्षण, सिक्यूरिटी प्रशिक्षण, कॉल सेंटर(बीपीओ) इत्यादि का प्रशिक्षण देना।
6	संस्था द्वारा निःशक्तजन, असहाय, वृद्धो, महिलाओं, बच्चों, विकलांगो, जरूरतमंदो तथा साधन हीन व्यक्तियों या परिवारों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करना तथा छात्रावास, वृद्धाश्रम, धर्मशाला, विधवा आश्रम, बाल आश्रम, महिला डे केयर आदि का संचालन करना।
7	व्यसन मुक्त और स्वावलम्बी समाज का निर्माण करना तथा शराब, धूम्रपान एवं अन्य मादक विभिन्न नशीली वस्तुओं, पदार्थो से होने वाली बीमारियों के प्रति पोस्टर, प्रदर्शनी, पम्पलेट, स्लोगन, प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना एवं उनकी रोकथाम के उपाय करना।
8	भारतीय संस्कृति से परिचय कराने हेतु लोक कला, कवि सम्मेलन, साहित्यक, संगीत, गीत गायन, नृत्य, भजन, लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, बोली, भाषा तथा बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम करना।
9	समय-समय पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, रचनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित विद्वान विशेषज्ञों के शिक्षाप्रद व्याख्यान आयोजित करना और शिक्षण प्रशिक्षण शिविर व कार्यशालाएँ आयोजित करना।
10	विभिन्न अवसरों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, परिवार नियोजन, नाक, कान तथा गला रोग निदान शिविरों का आयोजन करना तथा एड्स, कैंसर, मधुमेह, प्लेग आदि लाइलाज बीमारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा संक्रमित बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
11	पर्यावरण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं जनचेतना का विकास करना तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम करना तथा विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का प्रचार-प्रसार करना, अनुसंधान कार्य करना, विज्ञान के क्षेत्र में सेमीनार, शिक्षण प्रशिक्षण देना।
12	किसी देवीय विपत्ति, अनावृष्टि, बाढ़, भूकम्प, अकाल, सूखा, अग्निकाण्ड, महामारी आदि से पीड़ित बन्धुओं को विभिन्न कार्यक्रमों एवं विकल्पों द्वारा उनकी आवश्यक सहायता करना।
13	महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित विविध गतिविधियों का संचालन एवं व्यवस्था तथा कामकाजी महिलाओं हेतु हास्टल, बोर्डिंग स्कूल आदि का संचालन करना।
14	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, साफ सफाई एवं शौचालयों आदि की जानकारियों प्रदान करना। प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं हर्बल औषधियों का प्रचार-प्रसार करना तथा समय-समय पर व्यायाम, योग, ध्यान, सूर्य नमस्कार कार्यक्रमों का आयोजन करना।
15	समस्त शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन के सहयोग से उनका क्रियान्वयन करना तथा समाज सेवा के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों रक्तसदान शिविर, स्वास्थ्य्ाई जागरूकता कार्यक्रम, नशा मुक्ति कार्यक्रम, पानी बचाओ, नदी, नालों तथा तालाबो की साफ सफाई, सुलभ शौचालयों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं, कुपोषण मिटाओं, सर्वशिक्षा कार्यक्रम, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा तथा नसबंदी में सहयोग प्रदान करना।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	अनुज कुमार सक्सेना	श्री एस. के. सक्सेना	अध्यक्ष	561, सीवीरमन वार्ड 124,, एस. पी. बंगले के पीछे, बारापत्थर, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	स्वरोजगार
2	दुर्गेश नंदनी खरे	श्री वी. के. खरे	उपाध्यक्ष	121, हाइवे कालोनी,, छपारा,, Cpara, Seoni, Madhya Pradesh	स्वरोजगार
3	महेश श्रीवास्तव	स्व श्री नूतन लाल जी	सचिव	789, संजय वार्ड,, चित्रांश फोटो शॉप के पास,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	स्वरोजगार
4	अजीत सिंह बघेल	श्रीराम बघेल	कोषाध्यक्ष	61, ग्राम बलपुरा,, ग्राम पंचायत बीझावाड़ा,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	स्वरोजगार
5	सुनील कुमार बघेल	श्री मोहन सिंह बघेल	संयुक्त सचिव	15, ग्राम बलपुरा,, ग्राम पंचायत बीझावाड़ा,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	कृषक
6	राखी सक्सेना	श्री अमित सक्सेना	सदस्य	789, सीवीरमन वार्ड 124,, बारापत्थर,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	गृहणी
7	घनश्याम वर्मा	श्री शम्भू दयाल जी	सदस्य	162, ग्राम तुनवाडा,, पोस्ट रामगढ़, चौरई, Chauri, Chindwara, Madhya Pradesh	कृषक

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	अनुज कुमार सक्सेना , श्री एस. के. सक्सेना, 561, सीवीरमन वार्ड 124,, एस. पी. बंगले के पीछे, बारापत्थर, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	(signature)
2	दुर्गेश नंदनी खरे , श्री वी. के. खरे, 121, हाइवे कालोनी,, छपारा,, Cpara, Seoni, Madhya Pradesh	(signature)
3	महेश श्रीवास्तव , स्व श्री नूतन लाल जी, 789, संजय वार्ड,, चित्रांश फोटो शॉप के पास,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	(signature)
4	अजीत सिंह बघेल , श्रीराम बघेल, 61, ग्राम बलपुरा,, ग्राम पंचायत बीझावाड़ा,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	(signature)
5	सुनील कुमार बघेल , श्री मोहन सिंह बघेल, 15, ग्राम बलपुरा,, ग्राम पंचायत बीझावाड़ा,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	(signature)
6	राखी सक्सेना , श्री अमित सक्सेना, 789, सीवीरमन वार्ड 124,, बारापत्थर,, Seoni, Seoni, Madhya Pradesh	(signature)
7	घनश्याम वर्मा , श्री शम्भू दयाल जी, 162, ग्राम तुनवाडा,, पोस्ट रामगढ़, चौरई, Chauri, Chindwara, Madhya Pradesh	Gverma

6. हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियाँ प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(अध्यक्ष/सदस्य) (सचिव) (कोषाध्यक्ष/ Asingh.

दिनांक 06/04/2019

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN000615914750303201982720

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Voters Identity Card — पहचान पत्र का क्रमांक 744688548712

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card — पते का क्रमांक 744688548712

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-

साक्षी का नाम :- श्री अमित सक्सेना

साक्षी का पिता/पति:- श्री संतोष कुमार सक्सेना

पूर्ण पता :- सी. वी. रमन वार्ड, बाबूजी नगर, बारापत्थर, जिला सिवनी

सत्य-प्रतिलिपि

17/7/2019

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AX 966141

Regn. - 20654/19
6/5/19

CANCELLED

12/7/2019

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

1545
19/6/19
100/-

अग्रणि स्किल डेवलपमेन्ट सोसा. सिवनी
561, सींवींरमन बारापत्थर सिवनी जिला–बालाघाट

नकल हेतू
रजि.फर्म्स एंड सोसायटी भोपाल

ID NO. NMU 1643111 (E,.C, NO.)

नरेश कुमार मोहनानी
स्टाम्प वेन्डर
कमिश्नर कार्या. के सामने, खजाना सचि., भोपाल

कार्यालय जिला कोषालय
15 MAY 2010
भोपाल

CANCELLED

474/19
12/3/19

आवेदन क्रमांक : S64001058566603032019

नियमावली

SG40

1.	सोसायटी का नाम AGRANI SKILL DEVELOPMENT SOCIETY SEONI होगा। अनुमोदन दिनाँक : 30 Mar 2019
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 561, सी वी रमन वार्ड 124,एस.पी. बंगले के पीछे, बारापत्थर, सिवनी 480661 तहसील सिवनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**
1	संस्था द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उच्चतर माध्यमिक तथा सीबीएससी जैसी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन एवं संचालन करना।
2	संस्था द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा कालेज, हौम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तकनीकी इंजीनियरिंग कालेज, मैन्जमेन्ट कालेज, आई.टी.आई., वी.टी.पी. एजुकेशनल, कौशल विकास कार्यक्रम, एमबीए, एमसीए, उच्च शिक्षा, एम. एड., बी. एड., डी. एड. का संचालन करना।
3	संस्था द्वारा सभी वर्ग हेतु विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं जिसमें फुटबाल, किक्रेट, बैडमिंटन, कुश्ती, खो-खो, लम्बी कूद, दौड़, निशाना, भाला फेक, जिम्नास्टिक तथा तैराकी आदि का आयोजन करना तथा इन खेलों को बढ़ावा देना।
4	संस्था द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने हेतु युवक, युवतियो को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट साक्षरता तथा सूचना तकनीकी, डीजिटल इंडिया आदि के अपार सामर्थ के श्रेष्ठतम उपायों का शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना।
5	युवक तथा युवतियो को कम्प्यूटर आफसेट, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, टाइपिंग, डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, जरी, जरदौजी, बनावटी आभूषण, बुनाई, कुकिंग, बेकरी, जूट शिल्प, हेल्थ केयर, फैशन टेक्सटाइल, ड्रेस डिजाईनिंग, काष्ठ शिल्प, पेपर मैशी, पेपर बैग, काश्तकारी, बम्बू प्रशिक्षण, मोटर ड्रायविंग, मोटर मैकेनिक, आटो पार्टस रिपेयिरंग आदि विभिन्न व्यवसायिक विषय पर शिक्षण प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रशिक्षण, सिक्यूरिटी प्रशिक्षण, कॉल सेंटर(बीपीओ) इत्यादि का प्रशिक्षण देना।
6	संस्था द्वारा निःशक्तजन, असहाय, वृद्धो, महिलाओं, बच्चों, विकलांगो, जरूरतमंदो तथा साधन हीन व्यक्तियों या परिवारों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करना तथा छात्रावास, वृद्धाश्रम, धर्मशाला, विधवा आश्रम, बाल आश्रम, महिला डे केयर आदि का संचालन करना।
7	व्यसन मुक्त और स्वावलम्बी समाज का निर्माण करना तथा शराब, धूम्रपान एवं अन्य मादक विभिन्न नशीली वस्तुओं, पदार्थो से होने वाली बीमारियों के प्रति पोस्टर, प्रदर्शनी, पम्पलेट, स्लोगन, प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना एवं उनकी रोकथाम के उपाय करना।
8	भारतीय संस्कृरति से परिचय कराने हेतु लोक कला, कवि सम्मेलन, साहित्यक, संगीत, गीत गायन, नृत्य, भजन, लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, बोली, भाषा तथा बच्चों के रंगारंग

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

	कार्यक्रम करना।
9	समय-समय पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, रचनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित विद्वान विशेषज्ञों के शिक्षाप्रद व्याख्यान आयोजित करना और शिक्षण प्रशिक्षण शिविर व कार्यशालाएँ आयोजित करना।
10	विभिन्न अवसरों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, परिवार नियोजन, नाक, कान तथा गला रोग निदान शिविरों का आयोजन करना तथा एड्स, कैंसर, मधुमेह, प्लेग आदि लाइलाज बीमारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा संक्रमित बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
11	पर्यावरण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं जनचेतना का विकास करना तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम करना तथा विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का प्रचार-प्रसार करना, अनुसंधान कार्य करना, विज्ञान के क्षेत्र में सेमीनार, शिक्षण प्रशिक्षण देना।
12	किसी दैवीय विपत्ति, अनावृष्टि, बाढ़, भूकम्प, अकाल, सूखा, अग्निकाण्ड, महामारी आदि से पीड़ित बन्धुओं को विभिन्न कार्यक्रमों एवं विकल्पों द्वारा उनकी आवश्यक सहायता करना।
13	महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित विविध गतिविधियों का संचालन एवं व्यवस्था तथा कामकाजी महिलाओं हेतु हास्टल, बोर्डिंग स्कूल आदि का संचालन करना।
14	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, साफ सफाई एवं शौचालयों आदि की जानकारियाँ प्रदान करना। प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं हर्बल औषधियों का प्रचार-प्रसार करना तथा समय-समय पर व्यायाम, योग, ध्यान, सूर्य नमस्कार कार्यक्रमों का आयोजन करना।
15	समस्त शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन के सहयोग से उनका क्रियान्वयन करना तथा समाज सेवा के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों रक्तसदान शिविर, स्वाास्य्ाई जागरूकता कार्यक्रम, नशा मुक्ति कार्यक्रम, पानी बचाओ, नदी, नालों तथा तालाबो की साफ सफाई, सुलभ शौचालयों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं, कुपोषण मिटाओं, सर्वशिक्षा कार्यक्रम, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा तथा नसबंदी में सहयोग प्रदान करना।
5.	**सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगेः-**
	(अ) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।
	(स) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

(द) **अवैतनिक सदस्यः** सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. **सदस्यता की प्राप्ति**-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता**- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

1.आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति**- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगेः-**

1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।
3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

10. **(अ) साधारण सभा**- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की सभाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
(घ).अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन**- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल**- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर अध्यक्ष	हस्ताक्षर सचिव	हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

23. **विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।

26. **विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

सत्य-प्रतिलिपि

17/7/2019

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AX 966140

(2)

नियमावली की
प्रति संल

जबलपुर

CANCELLED

17/7/201

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpu

अग्रणि स्किल डेवलपमेन्ट सोसा. सिवनी
561, सीवीरमन बारापत्थर सिवनी जिला–बालाघाट

नकल हेतु
रजि.फर्म्स एंड सोसायटी भोपाल

ID NO. NMU 1643111 (E,.C, NO.)

नरेश कुमार मोहनानी
स्टाम्प वेन्डर
कमिश्नर कार्या. के सामने, पुराना सचि., भोपाल

15 MAY 2019